भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1653

सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन पर प्रदूषण का प्रभाव

1653. श्री लल्लू सिंहः

श्री श्रीधर कोटागिरीः

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

श्री डी॰एम॰ कथीर आनन्दः

श्री अरूण सावः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पर्यटन पर वायु और जल प्रदूषण के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि प्रदूषण के कारण पर्यटकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इससे पर्यटन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क), (ख) और (ड.):यद्यपि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटन पर वायु एवं जल प्रदूषण के प्रभाव का आकलन नहीं किया है, तथापि पिछले **3** वर्षों में नीचे दिए गए विदेशी पर्यटक आगमन के आंकड़ों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रदूषण के कारण देश में पर्यटन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है ।

वर्ष	एफटीए (मिलियन में)	अनुमानित विदेशी मुद्रा आय (एफईई) (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2017	**10.04**	**27.310**
2018	**10.56**	**28.586**

2019 (अनंतिम)	**10.89**	**29.962**

भारत में पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय तथा एफटीए का वर्ष-वार ब्यौरा ऊपर दिया गया है ।

(ग) और (घ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार प्रदूषण के कारण पर्यटकों के समक्ष आने वाले स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तथापि सरकार द्वारा नदी प्रदूषण को रोकने और वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं जो अनुबंध-**I** और अनुबंध-**II** में दिए गए हैं ।

****

अनुबंध-I

पर्यटन पर प्रदूषण का प्रभाव के संबंध में दिनांक 0**2.03.2020** के लोकसभा लिखित प्रश्न सं. **1653** के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में विवरण

नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा सहमति तंत्र के अंतर्गत जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम **1974** के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण का विनियमन किया जाता है ।

ख. सीपीसीबी ने 4**6** महानगरों और **20** राज्यों की राजधानियों को **"**नदी के पानी की गुणवत्ता बहाल करने के लिए सीवेज के उपचार एवं उपयोग**"** के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम **1986** की धारा 5 के अंतर्गत निर्देश जारी किए ।

ग. सीपीसीबी ने सीवेज के उपचार एवं उपयोग के संबंध में एसपीसीबी/पीसीसी को जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम **1974** की धारा **18 (1)** (ख) के अंतर्गत निर्देश जारी किए ।

घ. एफ्लूएंट गुणवत्ता के संबंध में रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से देश में औद्योगिक इकाईयों द्वारा ऑनलाइन कंटीन्यूअस एफ्लूएंट मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) संस्थापित किए गए हैं ।

ड. जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली **1986** के अंतर्गत सामान्य अपशिष्ट निकास मानक तथा औद्योगिक विशिष्ट अफ्लूएंट निकास मानक अधिसूचित किए गए हैं ।

च. नदियों और धाराओं की जल गुणवत्ता के संरक्षण हेतु शून्य द्रव अपशिष्ट निकास के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं ।

****

अनुबंध-II

पर्यटन पर प्रदूषण का प्रभाव के संबंध में दिनांक 02.03.2020 के लोकसभा लिखित प्रश्न सं. 1653 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में विवरण

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. अप्रैल 2017 से कड़े बी एस-IV वाहन मानक कार्यान्वित किए गए हैं ।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 29 जनवरी 2018 की अपनी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 (ई) द्वारा औद्योगिक बॉयलर्स के लिए SO2 तथा NOx मानकों को अधिसूचित किया और दिनांक 22 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 263 (ई) उद्योगों की पांच श्रेणियों के लिए SO2 और NOx मानकों को अधिसूचित किया ।
3. नवंबर 2009 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए थे । सीपीसीबी ने 12 मानदंड निर्धारित किए हैं यथा पीएम10, पीएम2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बैंजो-ऐ-पायरीन, आर्सेनिक तथा निकल ।
4. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी-मैनुअल) के अंतर्गत देश भर के 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 344 शहरों/नगरों में अवस्थित 793 मॉनिटरिंग स्टेशनों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है । सीपीसीबी ने एसपीसीबी/पीसीसी के सहयोग से देश में 114 शहरों में 205 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) स्थापित किए हैं ।
5. आम जनता को वायु गुणवत्ता की स्थिति की सही जानकारी के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता इंडेक्स विकसित और वितरित किए गए हैं ।

****